प्रेषक,

अजय कुमार शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊः दिनांक 20 मार्च, 2023

विषयः- जनपद वाराणसी में ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट मशीनों के भण्डारण हेतु गोदाम/कार्यालय भवन के निर्माण कार्य से सम्बन्धित पुनरीक्षित परियोजना प्रस्ताव/आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1041/सी0ई0ओ0-3-67/3-2017टी०सी०-6, दिनांक-15.12.2021, पत्र संख्या-1072/सी0ई0ओ0-3-67/3-2017टी०सी०-6, दिनांक-25.12.2021, पत्र संख्या-401/सी0ई0ओ0-3-67/3-2017, दिनांक-10.03.2022, पत्र संख्या-596/सी0ई0ओ0-3-67/3-2017टी०सी०-6, दिनांक-28.04.2022, पत्र संख्या-865/सी0ई0ओ0-3-67/3-2017(टी०सी०), दिनांक-27.07.2022, पत्र संख्या-1227/सी0ई0ओ0-3-67/3-2017(टी०सी०), दिनांक-31.10.2022 एवं पत्र संख्या-27/सी0ई0ओ0-3-67/3-2017(टी०सी०), दिनांक-09.01.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा जनपद वाराणसी में ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट मशीनों के भण्डारण हेतु गोदाम/कार्यालय भवन के निर्माण कार्य से सम्बन्धित पुनरीक्षित प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रु० 598.48 लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी०एफ०ए०डी०) द्वारा जनपद वाराणसी में ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट मशीनों के भण्डारण हेतु गोदाम/कार्यालय भवन के निर्माण कार्य से सम्बन्धित पुनरीक्षित प्रस्ताव/आगणन (प्रस्तावित लागत रु० 598.48 लाख) के सापेक्ष रू0 590.25 लाख की लागत आंकलित की गयी है।

3- जनपद वाराणसी में ई०वी०एम० मशीनों के भण्डारण के लिए गोदाम/कार्यालय भवन के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-946/61-2016, दिनांक 26.12.2016 द्वारा रू0 189.48 लाख एवं वी0वी0पैट मशीनों के भण्डारण के लिए गोदाम/कार्यालय भवन के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-869/61-2018-67/3-2017(नि०-3), दिनांक 19.12.2018 द्वारा रू० 196.41 लाख अर्थात ई०वी०एम० मशीनों तथा वी०वी०पैट मशीनों के भण्डारण के लिए गोदाम/कार्यालय भवन के निर्माण हेतु कुल रू० 385.89 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी।

---2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट :shasanadesh.up.gov.in... से सत्यापित की जा सकती है ।

4- पुनरीक्षित प्रायोजना की पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत रू0 590.25 लाख के सापेक्ष उपर्युक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित शासनादेशों द्वारा रू0 385.89 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। पुनरीक्षित प्रायोजना की अवशेष धनराशि रू0 204.36 लाख (रू0 590.25 लाख - रू0 385.89 लाख) होगी। प्रश्नगत कार्यों हेतु निर्गत की गयी धनराशि के सापेक्ष उपभोग की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार अवशेष धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

5- अतः इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद वाराणसी में ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट मशीनों के भण्डारण हेतु गोदाम/कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित प्रस्ताव/आगणन पर सम्यक् विचारोपरांत प्रश्नगत परियोजना को पूर्ण कराये जाने हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (पी०एफ०ए०डी०) द्वारा आंकलित पुनरीक्षित लागत रू0 590.25 लाख (रूपये पांच करोड़ नब्बे लाख पच्चीस हजार मात्र) की उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-94 के अन्तर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(1) वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 और अन्य सुसंगत आदेशों तथा ई०वी०एम० मशीनों के भण्डारण के लिए गोदाम/कार्यालय भवन के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-946/61-2016, दिनांक 26.12.2016 एवं वी0वी0पैट मशीनों के भण्डारण के लिए गोदाम/कार्यालय भवन के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-869/61-2018-67/3-2017(नि०-3), दिनांक 19.12.2018 द्वारा कार्यों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु सम्प्रति कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की जा रही है। प्रश्नगत कार्य हेतु निर्गत की गयी धनराशि के सापेक्ष उपभोग की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार अवशेष धनराशि अवमुक्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तिया एवं पर्यावरण क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ।

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाना होगा।

(5) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किए जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(6) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1 के शासनादेश दि0 21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चिम करेंगे।

---3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट :shasanadesh.up.gov.in... से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(9) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07.06.2022 व 04.11.2022 में निहित प्राविधानों का अनुपालन करते हुये अवशेष धनराशि स्वीकृत की जायेगी तथा शासनादेश दिनांक 26-08-2014 एवं दि0 15.06.2018 के अनुसार परीक्षणोपरान्त सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(10) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(11) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा उपकरणो का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 के अनुसार किया जायेगा ।

(12) क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें, चूंकि उनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसिफिकेशन में अन्तर आना स्वाभाविक हैं ।

(13) प्रायोजनान्तर्गत 12 प्रतिशत की दर से निर्माण लागत पर जी०एस०टी० की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र-177/09/2022 TRU, दिनॉक 03-08-2022 के अनुसार सिविल निर्माण कार्यों पर दिनांक 18-07-2022 से जी०एस०टी० की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गयी, जिसके दृष्टिगत पी0एफ0ए0डी द्वारा लागत का आंकलन 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० अनुमन्य कर दिया गया है। जी०एस०टी० की देयता वास्तविकता के अनुसार होगी तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी०एस०टी० सम्मिलित न हो।

(14) प्रायोजना हेतु जीएसटी की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी ।

(15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित बाह्य विद्युत संयोजन हेतु एकमुश्त लागत रू० 20.00 लाख प्रस्तावित की गयी है। प्रभाग द्वारा रू0 20.00 लाख के सापेक्ष रू0 10.00 लाख अनुमन्य किये गये है। अतः निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व विद्युत संयोजन हेतु विद्युत विभाग से विस्तृत आगणन प्राप्त कर लिया जाय तथा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त की जाय।

(16) प्रायोजनान्तर्गत सी०सी०टी०वी० की धनराशि अनुमन्य नहीं की गयी है। इसकी आवश्यकता, औचित्य, स्पेसीफिकेशन एवं लागत के सम्बन्ध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा पृथक प्रस्ताव के माध्यम से वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाय।

(17) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए लागत का अनुमोदन किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का होगा।

---4/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट :shasanadesh.up.gov.in... से सत्यापित की जा सकती है ।

(18) पी0एफ0ए0डी द्वारा प्रायोजना की लागत का आकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(19) पी0एफ0ए0डी द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(20) पी0एफ0ए0डी0 की शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

6- उक्त स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि का आहरण/व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान संख्या-41 के अंतर्गत लेखाशीर्षक ''4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-04-ई0वी0एम0/वी0वी0पैट भण्डारण के लिए गोदाम निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग की अ०शा०संख्या-E-12-779-X-2022-23, दिनांक 17.03.2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अजय कुमार शुक्ला)
सचिव।

संख्या-05/2023/191(1)/61-2023-61-01099/1/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, लखनऊ/प्रयागराज।
(3) वित्त नियंत्रक, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
(4) संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निर्वाचन अनुभाग-3, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी, वाराणसी । (द्वारा स्पीड-पोस्ट)
(7) सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्वाचन अनुभाग-3 ।
(8) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह०
(चन्द्रशेखर)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट :shasanadesh.up.gov.in... से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in